रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218981
CG-DL-E-01042020-218981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1094] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
No. 1094] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

सं. 57/2015–2020

का.आ. 1230(अ).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एफटीपी 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

1. पैरा 1.01 में "31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो" वाक्यांश को "31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. पैरा 3.08(क) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

   "तथापि, स्कीम के तहत पात्र सेवा श्रेणियों और 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रदान की गई ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल की दरों को परिशिष्ट 3X में अलग से अधिसूचित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से प्रदान की गई सेवाओं के लिए स्कीम को जारी रखने के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा और तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
3. पैरा 4.14 में अंतिम पंक्ति में उल्लिखित "31.03.2020" तारीख को "31.03.2021" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. पैरा 4.29 (viii) में प्रथम वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

"तथापि, सभी डीएफआईए (हस्तांतरणीय डीएफआईए सहित) के लिए, जंहा आयात के लिए वैधता 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच समाप्त हो रही है, वैधता समाप्ति की तारीख से छह महीने के लिए स्वतः बढ़ जाएगी।

5. पैरा 5.01(क) में दूसरे वाक्य में उल्लिखित तारीख "31.03.2020" को "31.03.2021" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. पैरा 5.01 (ग) में, द्वितीय वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य शामिल किया जाता है:

"तथापि, यदि आयात के लिए वैधता अवधि 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त होती है, तो वैधता समाप्ति की ऐसी अवधि की तारीख से आगे छह माह के लिए स्वतः बढ़ जाएगी

7. पैरा 6.01(घ) (ii) में, अंतिम पंक्ति में उल्लिखित तारीख "31.03.2020 को "31.03.2021" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–2020, जो 31.03.2020 तक वैध है, को 31.03.2021 तक बढ़ाया जा रहा है। छूट की तारीख एक वर्ष तक बढ़ाने तथा आयात प्रयोजनों के लिए डीएफआईए तथा ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की वैधता बढ़ाने वाले विभिन्न अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं।

[फा. सं. 01/75/171/00001/एएम 20/एफटीपी सेल]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2020

No. 57/2015-2020

S.O. 1230(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments in the FTP 2015-2020:

1. In para 1.01, the phrase "shall remain in force upto 31st March, 2020 unless otherwise specified" is substituted by the phrase "shall remain in force upto 31st March, 2021 unless otherwise specified."

2. The following shall be added at the end of para 3.08(a):

"However, the service categories eligible under the scheme and the rates of reward on such services as rendered w.e.f. 1st April, 2019 to 31st March, 2020 shall be notified separately in Appendix 3 X. For the services rendered w.e.f. 1st April, 2020, decision on continuation of the scheme will be taken subsequently and notified accordingly."

3. In para 4.14, the date "31.03.2020" as appearing in the last line is substituted by "31.03.2021".

4. In para 4.29(viii), after the first sentence, the following is inserted:

"However, for all DFIAs (including transferable DFIAs), where the validity for import is expiring between 01.02.2020 and 31.07.2020, the validity stands automatically extended by six months from the date of expiry."

5. In para 5.01(a), the date "31.03.2020" as appearing in the second sentence is substituted by "31.03.2021".

6. In Para 5.01(c), after the second sentence, the following sentence is inserted:

"However, in case the validity period for import expires during 1st February, 2020 to 31st July, 2020, the validity stands automatically extended by further 6 months from the date of such expiry."

7. In para 6.01(d) (ii), the date "31.03.2020" as appearing in the last line is substituted by "31.03.2021".

Effect of this Notification: The existing Foreign Trade Policy 2015-2020 which is valid upto 31.3.2020 is extended upto 31.03.2021. Various other changes are also made extending the date of exemptions by one year and extending validity of DFIA and EPCG Authorizations for import purposes.

[F. No. 01/75/171/00001/AM20/FTP Cell]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.04.01 00:20:33 +05'30'